नूर उर्फ नूरद्दीन

बनाम

कनार्टक राज्य

11 मई 2007

{एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.}

दंड संहिता 1860- धारा 324 सपठित धारा 34- एक व्यक्ति की मृत्यु- अपीलार्थी अभियुक्त सहित कई अभियुक्तगण द्वारा- चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य से यह प्रकट हुआ कि सभी अभियुक्तगण ने मृतक का पीछा किया और उस पर हमला किया। अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ठ भूमिका का खुलासा नहीं किया गया- प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनके नामों की अनुपस्थिति को देखते हुए अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया और अपीलार्थी को भा.दं.स. की धारा 143, 148, 341, 326 और 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया- दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में अपीलार्थी को केवल धारा 324 सपठित धारा 34 और धारा 304 भाग 1 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया- अपीलार्थी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय नहीं है। इसलिए धारा 34 भा.दं.सं. लागू नहीं होगी।

एक व्यक्ति की मौत के लिए अपीलार्थी अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ धारा 143, 148, 341, 326, 302, 120 बी सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि जब मृतक और पीडब्लू 4 (आहत चश्मदीद गवाह) मोटरसाइकिल पर जा रहे थे उन्हें अभियुक्तगण ने रोक दिया।

अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया। हमले को रोकने के दौरान पीडब्लू 4 को चोट आ गई। जब मृतक ने भागने की कोशिश की तो सभी अभियुक्तगण ने उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। पीडब्लू 4 के बयान को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी अभियुक्त सहित 4 अभियुक्तों को नामित किया गया था। लेकिन अपने बयान में पीडब्लू 4 ने कहा कि अपीलार्थी के अलावा अन्य अभियुक्तों के नाम गलत रूप से लिए गए थे। विचारण के दौरान पीडब्लू 4 (प्रथम सूचनाकर्ता) और पीडब्लू 5 (चश्मदीद गवाह) ने यह साबित कर दिया कि अभियोजन कहानी केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट तक सीमित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 143, 148, 341, 326, 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया और अन्य अभियुक्तगण को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि सात अभियुक्तगण में से अपीलार्थी के अलावा प्राथमिकी में किसी का नाम दर्ज नहीं था। राज्य ने दोषमुक्ति किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की। दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 143, 148 और 341 भा.दं.सं. में दोषमुक्त कर दिया तथा धारा 324 सपठित धारा 34, तथा धारा 304 भाग 1 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध ठहराया। इसलिए क्रॉस अपील पेश की गई है।

अभियुक्त की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और राज्य की अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि- (1) अपीलार्थी को धारा 304 भाग-1 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी दोषसिद्धि केवल धारा 324 भा.दं.सं. के तहत बरकरार रखी जा सकती है। (पैरा 19) (408 डी.ई.)

हर्षदसिंह पहलवान सिंह ठाकुर बनाम गुजरात राज्य 1976, 4 एससीसी 640, *गोल्ला पुल्लन्ना और अन्य बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य* (1996) 10 एससीसी 223,

उत्तरप्रदेश राज्य बनाम झिंकू नाई (2001) 6 एस. सी. सी. 503, विशिष्ट

बाउल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1968) 2 एस. सी. आर. 450 और *सुखराम पुत्र रामरतन बनाम मध्यप्रदेश राज्य* 1989 अनुपूरक 1 एस. सी. सी. 214, पर भरोसा किया गया।

2. एक सामान्य आशय मौके पर भी बनाया जा सकता है। यद्यपि एक व्यक्ति एक समान उद्देश्य रखने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, किसी दी गई स्थिति में उसे एक सामान्य आशय रखने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है लेकिन इस तरह के सामान्य आशय को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित वृतांत यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमला करने की कोशिश की थी जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। पी. डब्ल्यू. 4 ने हमले को रोक दिया। उसे चोट लगी थी। इसके बाद मृतक स्कूल की इमारत की ओर भागा जो जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा मौका के अनुसार मुख्य सड़क से लगभग 120 फीट की दूरी पर था। मृतक का शव केवल स्कूल की सीढ़ी पर मिला था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पी.डब्ल्यू 4 और 5 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि सभी अभियुक्तगण ने मृतक का पीछा किया था। सभी अभियुक्तगण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है। यह भी वर्णित नहीं किया गया है कि मृत्यु के लिए अकेले अपीलार्थी जिम्मेदार था या नहीं। (पैरा 13) (405- जी-एच, 406- ए-बी)

(3) मृतक को 19 चोटें आई हैं। कुछ चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर तथा कुछ चोटें हाथ और पैरों पर आई है। अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहंचाई हो। उपरोक्त स्थिति में धारा 34 भा.दं.सं. लागू नहीं होगी। (पैरा 14) (406-सी)

(4) यह प्रमाणित है कि अपीलार्थियों को केवल धारा 304 भाग-1 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया है। इससे ही पता चलता है कि उनका मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इस प्रकार इस मामले में सामान्य आशय का प्रश्न नहीं उठता है। (पैरा 15) (406-ई-एफ)

(5) अपीलार्थी के अलावा सभी अभियुक्तगण को विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। इसलिए अभियोजन पक्ष यह नहीं कह सकता कि अपीलार्थी का किसी भी अन्य अभियुक्तगण के साथ कोई सामान्य आशय था जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया गया था। प्रकरण भिन्न हो सकता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए यह कहा जा सकता है कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय का गठन किया है। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपराध गठित करने के लिए दोषसिद्धि प्राप्त कर सकता है यदि अन्य अभियुक्तगण व्यक्तियों के नाम तथा उनकी भूमिका प्रकट हो रही हो। अभियुक्त के विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के बारे में न केवल पता है बल्कि सिद्ध हो जाता है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी। यद्यपि पी.डब्लू. 4 ने अपना बयान यह दलील देकर वापस लिया कि उसने तीन व्यक्तियों के नाम लेकर गलती की। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने हमलावर का नाम लेने में गलती की है। (पैरा 16) (406- एफ-एच 407 ए-बी)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 734/2006 तथा आपराधिक अपील सं. 733/2006

आपराधिक अपील सं. 359/2005 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए अंतिम निर्णय दिनांक 13.09.2005 से।

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 733/2006

एस.एन भट्ट, एन.पी.एस. पंवार और डी.पी चतुर्वेदी अपीलार्थी की ओर से

अनिल के. मिश्रा, संजय आर. हेगडे, विक्रांत याद और अमित कुमार चांवला प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय श्री एस.बी सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया। 1. ये अपीलें आपराधिक अपील संख्या 359/2005 के अंतर्गत बैंगलोर कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 13.09.2005 से उत्पन्न होती हैं।

2. अपीलार्थी पर छह अन्य लोगों के साथ उदय कुमार (मृतक) की दिनांक 19.10.2003 को मृत्यु कारित करने का धारा 143, 148, 326, 341, 302, 120 बी सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप लगाया गया था।

3. अभियोजन कहानी निम्नानुसार है: दिनांक 19.10.2003 को रविवार था। मृतक और सुधाकर बोलाजे (पीडब्लू.4) मोटरसाइकिल पर कृष्णपुरा से गणेशपुर जा रहे थे। उनके कथनानुसार मोटरसाइकिल को ब्लॉक नं. 11 गांव कट्टीपल्ला में लगभग 20 वर्ष की आयु के एक लड़के द्वारा रोका गया। अपीलार्थी ने सिराज, जुबैद और इकबाल के साथ दो-तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मोटरसाईकिल को घेर लिया। वे तलवारों और क्रिकेट के बल्ले से लैस थे। अपीलार्थी नूरुद्दीन ने मृतक पर तलवार से हमला किया जिसे वह अपने साथ ले जा रहा था। पीडब्लू. 4 ने रोकने का प्रयास किया। इस प्रकिया में उसके बाएं हाथ में चोट लगी। उदय मोटरसाइकिल से कूद गया और स्कूल के खेल के मैदान की ओर भागा। जब वह स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा

था तब अपीलार्थी और उसके सहयोगियों ने उसका पीछा किया। उस पर तलवारों और बल्ले से हमला किया। पीडब्लू. 4 के पैर में भी तलवार लगी थी। वह भाग कर वहाँ से चला गया।

4. उनके कथनानुसार पीडब्लू. 4 अशोक शेट्टी से मिला जिसने खुद को पी.डब्ल्यू 11 के रूप में परीक्षित करवाया। वे सूरतकल पद्मावती अस्पताल गए जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया। इसकी सूचना थाने को दी गई। पीडब्लू 4 का बयान दर्ज किया गया। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया था। हालांकि एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। यहां तक कि तुरंत जांच एवं पूछताछ भी नहीं की जा सकी।

5. पुलिस के सामने अपने बयान में पीडब्लू.4 ने सिराज, जुबैद और इकबाल के नाम लिए। हालाँकि अपने बयान में उन्होंने कथन किया कि उन्होंने गलत रूप में उनका नाम लिया है। उसके अनुसार वास्तविक अपराधी अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 02 लगायत 07 हैं। सभी अभियुक्तगण दिनांक 21.10.2003 को गिरफ्तार किए गए थे तथा उनके कथनानुसार कुछ हथियार बरामद किए गए।

6. हस्तगत प्रकरण में समाहित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाहों की साक्ष्य पर ध्यान दिया जाए। यह कहना पर्याप्त है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ साथ इस आधार पर कि सात अभियुक्तों में से अपीलार्थी के अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था, दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148, 341, 326, 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया था। राज्य ने दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई थी। विवादित निर्णय के कारण उच्च

न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास से एवं धारा 304 भाग-1 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध करते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

7. अपीलार्थी और राज्य दोनों हमारे समक्ष हैं।

8. हस्तगत प्रकरण में समाहित प्रश्न की विवेचना करने हेतु हम प्रथम सूचना रिपोर्ट को देख सकते हैं। पीडब्लू. 4 प्रथम सूचनाकर्ता और पीडब्लू. 5 बालकृष्णन जो एक चश्मदीद गवाह भी था, ने अभियोजन पक्ष के मामले को केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट तक ही साबित किया। राज्य ने अपनी क्रमबद्ध मुख्य परीक्षा में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को साबित किया।

9) यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि क्रिकेट के खेल के दो मैदान थे। यह घटना तब हुई जब एक पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। अपीलार्थी दूसरे मैदान पर बताया जा रहा था। पीडब्लू 4 और 5 के अनुसार झगडे में पीडब्लू 4 और मृतक द्वारा इम्तियाज को चोट पहुंचाई, जिसके बाद अन्य लोगों ने उन पर हमला किया। यह विवादित नहीं है कि इम्तियाज़ को चोट लगी थी। यह पीडब्लू 17 डॉ. हेमलता द्वारा यह साबित किया गया था और निम्नलिखित चोटों को देखा गया थाः

"दाहिने स्कैपुला की त्वचा के ऊपर नीचे की मांसपेशियों को गहराई तक एक तिरछा पार्श्व कटा हुआ घाव जिसका माप 14 गुणा 5 सेमी है। प्रुलेंट स्राव से ढका घाव। घाव के किनारे ग्रेन्युलेशन देखा गया। चोट की अवधि 50 से 58 घंटे बताई गई और वह आगे इलाज के लिए बडे अस्पताल में रैफर किया गया।"

10. निश्चय ही इम्तियाज़ के आई चोटों का वर्णन नहीं किया गया था।

अपीलार्थी और इम्तियाज़ के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी क्रमबद्ध परीक्षाओं में यह अभिवचन लिया गया था। जबकि अपीलार्थी की उपस्थिति विवादित है इसलिए इम्तियाज़ की उपस्थिति विवादित नहीं है। इसके बावजूद इम्तियाज को दोषमुक्त कर दिया गया है।

11. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 143 और 148 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त वह धारा 341 भा.दं.सं. के अंतर्गत भी दोषमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत होते हुए राय दी कि अपीलार्थी उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने उदय और सुधाकर बोलाजे पर हमले में भाग लिया था और अभियुक्त संख्या 1 ने तलवार से प्रहार किया था। हालाँकि यह देखा गया कि उसकी हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी। पीडब्लू 10 ने स्पष्ट रूप से कहा कि खेल खेलते समय झगड़ा हुआ था। यद्यपि पीडब्लू 10 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

"श्री उदय की कथित हत्या के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पीडब्लू 10 द्वारा प्रकट की गई और जैसा कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है, परिस्थितियाँ एक तरफ मृतक और पीडब्लू4 और दूसरी तरफ कथित दोषियों के बीच झगड़े की संभावना का संकेत देती हैं और चूंकि उस समय मृतक और पीडब्लू 4 हथियारों से लैस हो सकते थे। यह एक दुर्घटना भी हो सकती है, जहां अचानक लडाई उस पल के दौरान हुई हो तथा उदय को घोर उपहति आई हो। यदि ऐसा है, तो हत्या धारा 300 (अपवाद-4) या तो धारा 326 भा.दं.सं. का अपराध होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा विशेष रूप से पीडब्लू 10 के साक्ष्य पर विचार करते हुए उदय और पीडब्लू 4 के जमीन पर आने की संभावना बहुत अधिक है और पूरी संभावना है कि एक तरफ उदय और पीडब्लू 4 के बीच और दूसरी तरफ आरोपी नंबर 1 और

अन्य लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोपी नंबर 2 को लगी चोटें उस संभावना का संकेत देती हैं। उदय और पीडब्लू 4 द्वारा उपजी चोटों को अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 और उसके साथियों द्वारा अचानक लड़ाई में और उस पल की गर्मी में कारित की गई चोटों के रूप में माना जा सकता है। परिस्थितियां यह दर्शित नहीं करती है कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अनुचित फायदा उठाया गया हो। यह कार्य हालांकि जल्दबाजी में किया गया था और यह पूरी तरह से भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद-4 के तहत आता है और इसके परिणामस्वरूप आरोपी संख्या 1 और अन्य के कार्य से उदय की मृत्यु गैर इरादतन हत्या के बराबर होगी। खुलासा की गई परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी नंबर 1 और उसके साथियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया, यह नहीं कहा जा सकता है कि हमला उदय को मारने के इरादे से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप यह कार्य भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग 1 तहत आता है न कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत।"

इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 120.बी,143,148 और 341 के तहत अपराध साबित नहीं हुए हैं।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 निम्नानुसार हैः

"34. सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य

जब सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जिस तरह से यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।"

13. एक सामान्य आशय मौके पर ही विकसित किया जा सकता है। यद्यपि एक व्यक्ति को एक सामान्य उद्देश्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, एक

दिए गए मामले में इस स्थिति में उसे एक सामान्य आशय के लिए दोषी ठहराया जा सकता है लेकिन इस तरह के सामान्य आशय को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया वर्णन जो हमारे द्वारा यहाँ देखा गया है स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जब वह अपनी मोटरसाईकिल पर था अपीलार्थी ने मृतक पर हमला करने की कोशिश की थी। पीडब्लू.4 ने हमले को रोक दिया। उसे चोट लगी थी। इसके बाद मृतक स्कूल की इमारत की ओर भागा जो जांच अधिकारी द्वारा बनाए गए नक्शामौका के अनुसार मुख्य सडक से लगभग 120 फीट की दूरी पर थी। उदय का शव केवल स्कूल की सीढ़ी पर मिला था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य से पता चलता है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक का पीछा किया था। सभी अभियुक्तगण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है कि क्या अकेले अपीलार्थी मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए जिम्मेदार था जिसका उल्लेख नहीं किया गया है।

14. मृतक को 19 चोटें आई हैं। कुछ चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर तथा कुछ चोटें हाथों और पैरों पर आई है। अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहंचाई हो। उपरोक्त स्थिति में धारा 34 भा.दं.सं. में लागू नहीं होगी।

15. श्री हेगड़े द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय *हर्षद सिंह पहलवान सिंह ठाकुर बनाम गुजरात राज्य* (1976) 4 एस. सी. सी. 640 जिसे इस न्यायालय द्वारा *गोल्ला पुल्लन्ना एवं अन्य बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य* (1996) 10 एस. सी. सी. 223 और *उत्तरप्रदेश राज्य बनाम झिंकू नाई* (2001) 6 एस. सी. सी. 503 न्यायिक निर्णयों में भी देखा गया था। उपरोक्त निर्णय इस मामले में लागू नहीं होते हैं। उक्त मामलों में सामान्य आशय को साबित किया गया था। इसमें यह न्यायालय हत्या के अपराध पर

विचार कर रहा था। जैसा कि उपरोक्त अपराध करने का सामान्य आशय स्थापित किया गया तथा प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिकाओं को माना गया था, यह बहुत अधिक महत्व नहीं है। यह तथ्य कि अपीलार्थियों को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा- 304 भाग-1 के तहत दोषी ठहराया गया है, यह बताता है कि उनका मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इस प्रकार इस मामले में सामान्य आशय का प्रश्न नहीं उठता है।

16. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि अपीलार्थी के अलावा सभी अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए है। राज्य ने इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की। इसलिए अभियोजन पक्ष यह नहीं कह सकता कि अपीलार्थी का किसी अन्य अभियुक्त व्यक्ति के साथ कोई सामान्य आशय था, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिया गया था। यह बात अलग हो सकती है कि एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय गठित किया था। अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत अपराध करने के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकता है यदि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएँ ज्ञात हों। अभियुक्त के विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य का न केवल पता चलता है बल्कि उसे साबित भी किया जाता है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी। यद्यपि पी.डब्लू. 4 ने अपना बयान यह दलील देकर वापस लिया कि उसने तीन व्यक्तियों के नाम लेकर गलती की। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने हमलावर का नाम लेने में गलती की है। उसने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली थी। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने सिराज का नाम लिया जब कि बाद में हुए बयान में उसने इमरान का नाम लिया।

17. *बाउल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (1968) 2 एस. सी. आर. 450: ए.आई.आर (1968) एस.सी 728 न्यायिक निर्णय के अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया है किः

> "7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल अभियोजन मामले से पता चला कि साधाई और रामदेव दोनों ने मृतक के सिर पर लाठियों से वार किया था। एक को प्रलोभित किया जाता है कि दोनों हमलावरों के बीच दो घातक चोटों को विभाजित करने और यह मानने के लिए कि एक-एक चोट उनके कारण हुई थी। यदि मामले में सामान्य आशय स्थापित होता तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन सी चोट किस हमलावर के कारण हुई थी कि केवल साधाई ने ही मृतक के सिर पर सभी चोटें पहुंचाईं। एक बार जब वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संदेह बना रहता है कि क्या साधाई द्वारा की गई चोटें उस प्रकृति की थी जो उनके मामले को धारा 302 की परिधि में लेकर आए। ऐसा हो सकता है कि पहले प्रहार का प्रभाव अधिक प्रमुख हो गया क्योंकि इसके तुरंत बाद एक और प्रहार से खोपड़ी में पहले प्रहार की तुलना में अधिक फ्रैक्चर हो गया था। ये संदेह हमें संदेह का लाभ साधाई को देने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सोचते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत उसकी दोषसिद्धि को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जा सकता है लेकिन इस प्रकार के मामले में यह मानना मुश्किल है कि उसका अपराध हत्या के बराबर है क्योंकि उसे मृतक को आई सभी चोटों के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम भारतीय

दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 325 के तहत अपराध के लिए सात वर्षों के कठोर करावास की सजा से दोषी ठहराते हैं तथा आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हैं।"

18. एक बार फिर *सुखराम पुत्र रामरतन बनाम मध्यप्रदेश राज्य* 1989 अनुपूरक 1 एस. सी. सी. 214 विधि को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः

"10 इस मामले का एक और पहलू भी है जो उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन से बच गया है कि जब उसने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में कायम रखा एवं अभियुक्त गोकुल को धारा 436 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया। हालाँकि अभियुक्त गोकुल और अपीलार्थी पर भा.दं.सं. की धारा 302 और 436 के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए गए थे। सेशन न्यायाधीश द्वारा केवल उन्हें धारा 302 सपठित धारा 34 एवं धारा 436 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के वैकल्पिक आरोप के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब उच्च न्यायालय अभियुक्त गोकुल के विरूद्ध भी दोषसिद्धि का आदेश पारित करती है। चूंकि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त गोकुल को संदेह का लाभ दिया है और उसे दोषमुक्त कर दिया। यह पाया गया है कि अपीलार्थी की दो मूल अपराधों के अंतर्गत धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि यह इस प्रकार का मामला है जहां सहअभियुक्त नामित व्यक्ति है और उसे दोषमुक्त कर दिया गया है और इसके कारण अपीलार्थी को किसी अन्य व्यक्ति

के साथ संयुक्त रूप में अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा कानून की यह स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है और हम इसकी ओर से केवल कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं- *प्रभु बालाजी बनाम स्टेट ऑफ बाम्बे, कृष्णा गोविन्द पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और बाउल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य*।"

19. इसलिए अपीलार्थी को भा.दं.सं की धारा 304 भाग 1 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी दोषसिद्धि केवल धारा 324 भा.दं.सं. के अंतर्गत बरकरार रखी जा सकती है।

20. अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील उपरोक्त विवेचनानुसार उल्लेखित की गई हद तक स्वीकार की जाती है तथा राज्य की ओर से खारिज की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 सपठित धारा 34 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है तथा धारा 324 भा.दं.सं. के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। चूंकि अपीलार्थी पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई सजा को भोग चुका है इसलिए उसे रिहा करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित न हो।

के.के.टी

अपील संख्या 734/2006 आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा अपील संख्या 733/2006 खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जया अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवेहारित और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।